न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 13/2025 राजस्व अपील उनवान राजू पुत्र श्रीया मीना निवासी जगरामपुरा पट्टी तहसील सिकराय बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2026	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 06.09.2016 में अपीलांट राजू पुत्र श्रीया मीना द्वारा खसरा नम्बर 119/5 रकबा 1.35 है0 चरागाह भूमि में से 0.05 है0 भूमि पर पाटोल बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जबकि उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा मु.नं. 415/016 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2016 में राजू पुत्र श्रीया मीना निवासी जगरामपुरा पट्टी द्वारा काश्त कर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत भी कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 119/5 रकबा 0.05 है0 ग्राम जगरामपुरा पट्टी से कब्जा हटा लिया जाने और भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। पटवारी हल्का कालाखो द्वारा रिपोर्ट दिनांक 7.4.2025 में भी पूर्व में अतिक्रमित स्थान पर वर्तमान में राजू पुत्र श्रीया का कोई कब्जा नहीं होना अंकित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2016 को निरस्त फरमावें। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 119/5 रकबा 1.35 है0 में से 0.05 है0 भूमि पर पाटोल बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर उप तहसीलदार बवरावण्डा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी को नोटिस दिया जाकर विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 07.10.2016 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट राजू पुत्र श्रीया मीना द्वारा खसरा नम्बर 119/5 रकबा 1.35 है0 चरागाह भूमि में 0.05 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा निर्णय दिनांक 07.10.2016 पारित किया गया है। किन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा पटवारी हल्का कालाखो द्वारा पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट दिनांक 07.4.2025 में अंकितानुसार पूर्व में अतिक्रमित स्थान पर वर्तमान में राजू पुत्र श्रीया का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में पाटोल बाड़ा बनाकर द्वारा अतिक्रमण किया जाना अंकित किया गया है जबकि न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय मे काश्त कर अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख है जो विरोधाभासी तथ्य प्रतीत होता है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित करने बाबत कोई दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा मु.नं. 415/016उनवानी सरकार बनाम राजू में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2016 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। 7/1/2026 (अरविन्द शर्मा) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

Scanned with OKEN Scanner